न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष – उमेश साहु ....

बनाम

वाद सं0 91/2023 — द्वितीय पक्ष – रंजन साहु ..... बगैरह।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.01.18 12:45:14 +05:30
Location: 192.168.1.3

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 32/2023 दिनांक 06/11/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) उमेश साहु उम्र 40 वर्ष पिता नारायण साहु ग्राम भागीडेरा, थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) रंजन साहु उम्र 19 वर्ष (2) सोनु साहु उम्र 22 वर्ष दोनो पिता विजय साहु ग्राम भागीडेरा थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर वाद लाया गया है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	